निगम के पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट को वार्षिक किराये आधार पर दिये जाने हेतु निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

निविदा फार्म का मूल्यः– रू0 1,500/– जीएसटी सहित

निविदा फार्म :– रू0 1,500/– का भुगतान दिनॉक 1.9.2021 सायं 5.00 बजे तक निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल, नैनीताल में कर प्राप्त किया जा सकता है ।

1– निगम के पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट को संचालित किये जाने हेतु 03 वर्षो के लिये दिया जायेगा । कार्य संतोषजनक होने पर इसे आगे 02 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु निगम प्रशासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

2– पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा ।

3– सफल निविदादाता द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल एवं विद्युत बिल तथा नगरपालिका परिषद से सम्बन्धित समस्त टैक्स आदि का भुगतान स्वंय वहन किया जायेगा । जल एवं विद्युत संयोजन हेतु सफल निविदाकार को निगम से एनओसी प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी । अनुबन्ध की शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में निगम द्वारा उक्त एनओसी को निरस्त कर दिया जायेगा ।

4– पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट में संचालनकर्ता द्वारा कोई भी असामाजिक व अवैध गतिविधियां नहीं की जायेगी । यदि ऐसा किया जायेगा तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे व ऐसा करने पर अनुबन्ध निगम द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा ।

5– संचालनकर्ता द्वारा पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट में मरम्मत/रंगाई –पुताई स्वयं के व्यय पर की जानी होगी । मरम्मत/रंगाई –पुताई के अतिरिक्त किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य निगम की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा । यदि निगम द्वारा इस हेतु अनुमति दी जाती है तो संचालनकर्ता अपने ही संसाधनों व व्यय पर इसका निर्माण करेगा ।

6– पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट में किसी तरह की क्षति हो जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा तथा क्षतिपूर्ति की वसूली संचालनकर्ता द्वारा जमा जमानत धनराशि से की जायेगी ।

7– किराये में प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी ।

8– किराये की राशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा ।

9– निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 40,000/– (चालीस हजार मात्र) की धनराशि की एफडीआर/ड्राफ्ट जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम से बन्धक /बना हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ मूल में जमा किया जाना आवश्यक होगा ।

10– अनुबन्ध सम्पादित होने से पूर्व संचालनकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के तौर पर स्वीकृत धनराशि के 06 माह के किराये के बराबर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर/बैंक गारन्टी के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

11– निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

12– निविदा हेतु वार्षिक किराये की न्यूनतम धनराशि निगम द्वारा रू0 5.00 लाख + जी0एस0टी0 निर्धारित की गई है । इस धनराशि से अधिकतम धनराशि अंकित किये जाने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी ।

13– संचालन की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व अनुबन्ध के किसी भी बिन्दुओं का पालन नहीं होने पर तीन माह के नोटिस पर अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा कक्ष को उचित अवस्था में हस्तान्तरित करना होगा ।

14– निविदाकार द्वारा निविदा की तकनीकी भाग के साथ फार्म कय की रसीद मूल में सलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

15– निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये निविदा प्रपत्र 1 (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित निविदादाता निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अर्हताओं का विवरण एवं आवश्यकीय प्रपत्र संलग्न करने होंगे तथा प्रपत्र 2 (वित्तीय निविदा) को पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से निविदाकर्ता अपना/संस्था का नाम व प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 का अंकन करते हुए दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर बड़े लिफाफे के बाहर पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट के संचालन हेतु निविदा शीर्षक अंकित करते हुए व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व निविदा बॉक्स में डाली जानी होंगी । निविदा हेतु नियम तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16– निविदायें दिनॉक 02.09.2021 को अपराह्न 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 02.09.2021 को अपराह्न 03.00 बजे खोली जायेंगी ।

17– निविदायें निविदा बॉक्स में दिनॉक 02.09.2021 को निगम मुख्यालय, कार पार्किंग, सूखाताल में अपराह्न 02.00 बजे तक डाली जानी होगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

18– कुमाऊँ मण्डल विकास निगम व सफल निविदाकर्ता के मध्य परिसर के संचालन हेतु अनुबन्ध किया जायेगा तथा विस्तृत शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

19– संचालनकर्ता द्वारा पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट को अन्य को संचालन हेतु हस्तगत नहीं किया जायेगा ।

20– संचालनकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित मैन्यू एवं दरों के अनुसार पर्यटक आवास गृह, खैरना में प्रवास कर रहे पर्यटकों एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा तथा अन्य पैकेज टुअर के तहत आने वाले यात्रियों को भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जानी होगी ।

21– संचालनकर्ता द्वारा डायनिंग हॉल के अन्तर्गत निगम को रिसेप्शन काउन्टर हेतु जगह उपलब्धं करायी जानी अनिवार्य होगी ।

22– निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता की तकनीकी निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में निविदादाता के निविदा के वित्तीय भाग को नहीं खोला जायेगा ।

23– निविदा प्रेषित करने से पूर्व निविदादाता पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण कर स्वयं के हित में ही निविदा भरें । बाद में निविदादाता का इस सम्बन्ध में कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा ।

24– किसी भी चरण में निविदा को निरस्त करने, एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक,कु0म0वि0नि0 के पास सुरक्षित होगा ।

25– इस विलेख की किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद आर्विटेशन/निर्णायक द्वारा तय किया जायेगा, जिस हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल आर्बिटेटर होंगे । किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।

26– अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

निगम के पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट को वार्षिक किराये आधार पर दिये जाने हेतु तकनीकी निविदा फार्म

1– निविदादाता का नाम : . . . .

2– पिता का नामः . . . .

3– फर्म का नामः . . . .

4– पताः . . . .

5– दूरभाषः . . . .

6– ईमेल आईडीः . . . .

7– पैन कार्ड संख्या(प्रति संलग्न करें) : . . . .

8– जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रति संलग्न करें) : . . . .

9– फार्म कय की रसीद संख्या(प्रति संलग्न करें) . . . .

10– धरोहर राशि रू0 40,000/– का विवरण (प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी) मूल मे संलग्नः. . . . .

निविदाकार के हस्ताक्षर–

नाम–

पता–

निगम के पर्यटक आवास गृह, खैरना स्थित रेस्टोरेन्ट को वार्षिक किराये आधार पर दिये जाने हेतु

वित्तीय निविदा फार्म

वार्षिक किराये की निविदित धनराशि	...........................+(जी0एस0टी0 अतिरिक्त) शब्दों में: ....

निगम द्वारा वार्षिक किराये की न्यूनतम धनराशि रू0 05.00 लाख + जी0एस0टी0 निर्धारित की गई है । इस धनराशि से अधिकतम धनराशि अंकित किये जाने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी ।